न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निग–1272–II–16

सरजुवा तनय ननूवा चमार ,

निबासी–ग्राम तखा, तहसील जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

...............आवेदक

21/4/16 को

21.4.16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदक

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह स्वमेव निगरानी ग्राम तखा में अपने नाम से राजस्व अभिलेख में सन 1974–75 से दर्ज भूमि पर अकेले सहखातेदार सल्कन का नाम दर्ज कर देने के कारण पुनः अपना नाम पूर्ववत खसरा में पूर्व के खसरा अनसार/हिस्सा अनुसार दर्ज करवाने वावद तहसीलदार महोदय टीकमगढ़ को आदेशित करने वावद प्रस्तुत कर रहा है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम तखा स्थित भूमि खसरा नंबर 195/1 में से आवेदक एव सल्कन नामक ब्यक्ति को ग्राम तखा, स्थित भूमि खसरा नंबर 195/1 में से 1.214 यानि कि 3.00 एकड़ भूमि अस्थाई पटटा पर प्राप्त हुई थी। राजस्व अभिलेख में सन 1974–75 के खसरा में सरजुआ तनय ननुवा चमार 5/6, सलकन तनय हीरा सौंर 1/6 रकवा 1.214 यानि 3.00 एकड़ अस्थाई पटटेदार सन 1973–74 से 1977–78 तक दर्ज हैं, जो लगातार 1984–85 तक दर्ज रहा है। 1984–85 में उपरोक्त भूमि का प्रकरण क्रमांक 99/अ–19/1984–85 के अनुसार भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया। जिसका हिस्सा सरजुवा तनय ननुवा 5/6 तथा सलकन तनय हीरा 1/6 हो गया। उपरोक्तानुसार नाम खसरा पांच साला में सन 2006–0

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 1272/II/2016, जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **सरजुवा वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.4.16	1– मैंनें प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी, ग्राम तखा में अपने नाम से राजस्व अभिलेख में सन 1974–75 से दर्ज भूमि पर बर्तमान में अकेले सहखातेदार सल्कन का नाम दर्ज कर देने के कारण पुनः अपना नाम खसरा में पूर्व के खसरा अनुसार/हिस्सा अनुसार दर्ज करवाने वावद तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित करने ववद प्रस्तुत की है। 2– यह कि आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये, उन्होंने अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है, जो कि निगरानी मीमो में लेख किये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी के साथ वादग्रस्त भूमि के सन 1969–70 से लगातार बर्तमान तक के खसरा पांच–साला की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत कीं गई हैं। जिसके आधार पर मैंने पाया कि ग्राम तखा स्थित भूमि, खसरा नंबर 195/1 में से 1.214 है0 यानि कि 3.00 एकड़ भूमि अस्थाई पटटा पर आवेदक एवं सल्कन नामक व्यक्ति को प्राप्त हुई थी। राजस्व अभिलेख में सन 1974–75 के खसरा में सरजुआ तनय ननुवा चमार 5/6, सलकन तनय हीरा सौंर 1/6 रकवा 1.214 यानि 3.00 एकड़ अस्थाई पटटेदार सन 1973–74 से 1977–78 तक दर्ज हैं, जो कि लगातार 1984–85 तक दर्ज रहा है। 1984–85 में उपरोक्त भूमि के प्रकरण कमांक 99/अ–19/1984–85 के अनुसार आवेदकगण को भूमि–स्वामी घोषित कर दिया गया। जिसका हिस्सा सरजुवा तनय ननुवा 5/6 तथा सल्कन तनय हीरा 1/6 दर्ज हो गया, जो खसरा पांच साला में सन 2006–07 तक लगातार दर्ज चले आये हैं। बर्तमान खसरा में वादभूमि पूरी की पूरी सल्कन तनय हीरा सौंर के नाम पर दर्ज हैं। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि, उसके द्वारा वादभूमि का ना तो बिकय दान आदि किया गया है, ना ही उसे अन्य किसी प्रकार से सल्कन के पक्ष में नामांतरित किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आवेदक द्वारा कई बार बरिष्ठ अधिकारियों को आवेदनपत्र प्रस्तुत किये हैं। यह भी बताया कि सहखातेदार सल्कन ला औलाद फौत हो चुका है।	

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाती है, तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वाद भूमि स्थित ग्राम तखा, खसरा नंबर 195/1 रकवा 1.214 हैक्टेयर यानि कि 3.00 एकड़ पर आवेदक का नाम पूर्ववत 5/6 हक में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाबे, तथा 1/6 हक पर सल्कन का नाम दर्ज किया जाबे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य